न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 252/1995 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–01–1995 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 17 अ 68/1993–94

बाबूलाल पुत्र प्रीतम प्रसाद सोनी
सर्किट हाउस के पास छतरपुर ---आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री ए.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 8 –10–2015 को पारित)

आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 अ 68/1993–94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–1–1995 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि न.सं.आ. छतरपुर ने तहसीलदार नजूल छतरपुर को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 13–5–1992 प्रस्तुत किया कि आवेदक ने नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 255/2 व रकबा 6.80 के रकबा 192 वर्गफीट (आगे जिसे वादग्रस्त भूखंड अंकित किया गया है) पर लेट्रिन टैंक बनाकर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार नजूल छतरपुर ने आवेदक के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 109 अ 68/1991–92 पंजीबद्ध किया एंव सुनवाई हेतु आवेदक को कारण बताओ नोटिस दिनांक 15–5–1992 जारी किया। अनावेदक व्दारा

बचाव में लेखी उत्तर दिनांक 6-7-1992 प्रस्तुत किया। तहसीलदार नजूल ने आवेदक की सुनवाई कर आदेश दिनांक 10.7.92 पारित किया तथा अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित होने पर आवेदक पर रू. 500/- अर्थदण्ड अधिरोपित का वादग्रस्त भूखंड पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के समक्ष अपील क्रमांक 23/1992-93 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 23-6-1993 से अपील अस्वीकार की गई। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 17 अ 58/1993-94 दर्ज होने पर आदेश दिनांक 31-1-1995 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि जब नजूल संधारण आपरीक्षक ने मौके पर नप्ती की कार्यवाही की है एंव नगर छतरपुर के सर्वे नंबर 255/2 व रकबा 6.80 के रकबा 192 वर्गफीट पर आवेदक द्वारा लेट्रिन टैंक बनाकर अतिक्रमण पाये जाने पर मौके का नक्शा तैयार किया गया, आवेदक मौके पर उपस्थित रहने के बावजूद उसने नजरी नक्शे पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसी प्रकार तहसीलदार नजूल छतरपुर ने सुनवाई के दौरान दिनांक 16-6-92 एंव 6-7-92, 8-7-92 को आवेदक को वादग्रस्त भूखंड के स्वत्व अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय दिया, किन्तु आवेदक ने वादग्रस्त भूखंड के स्वत्व वावत् अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये, अपितु उसके व्दारा लेखी बचाव में बताया गया कि भूखंड

जिस पर उसका मकान बना है उसने 9-6-92 को रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया है। रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से किसी भूखंड को क्रय करना अलग तथ्य की बात है एंव नगर छतरपुर के शासकीय सर्वे नंबर 255/2 व रकबा 6.80 के रकबा 192 वर्गफीट पर लेट्रिन टैंक बनाकर अतिक्रमण करना अलग तथ्य है। आवेदक वादग्रस्त भूमि पर लेट्रिन टैंक बनाने वावत् नगरपालिका छतरपुर की अनुमति अथवा भवन निर्माण अनुमति भी प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिसके कारण तहसीलदार नजूल छतरपुर ने आवेदक का वादग्रस्त भूखंड पर लेट्रिन टैंक बनाकर अतिक्रमण प्रमाणित पाये जाने से रू. 500/-अर्थदण्ड अधिरोपित कर बेदखली के आदेश दिये हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर ने एंव आयुक्त, सागर संभाग सागर ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.7.1992 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 अ 58/1993-94 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-1995 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अस्वीकार की जाती है।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर